शिक्षा का अधिकार अधिनियम : विभिन्न वर्गों की जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

ऋतु भारद्वाज*

1 अप्रैल 2010 को प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम को देश के बच्चों को समर्पित करते हुए कहा कि "शिक्षा बच्चों का हक है, नौजवान हमारे देश का भविष्य हैं और यह कानून उन्हें ताकतवर बनायेगा। मैंने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की है, मैं आज जो कुछ हूँ शिक्षा की वजह से हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय बच्चा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, शिक्षा की रोशनी में नहाए। मैं हर भारतीय के लिए कामना करता हूँ कि वह बेहतर भविष्य का सपना देखे और उसका यह सपना पूरा हो। बच्चों को शिक्षित करने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी।" वास्तव में "शिक्षा का अधिकार" कानून का लागू होना देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की कोशिश के रूप में एक मील का पत्थर है। परंतु इस अधिनियम को लागू करने में बहुत सी चुनौतियाँ हैं जिनका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए समाज के सभी वर्गों का जागरूक होना आवश्यक है।

शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान में अनुच्छेद 21क, अनुच्छेद 41, 45, 46 के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रयत्नों द्वारा बच्चों को शिक्षित करने का प्रावधान दिया गया है।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संबंधी खर्च, प्रधानाचार्य का कर्त्तव्य, माता-पिता तथा शिक्षक का कर्त्तव्य राज्य तथा केंद्र सरकार आदि के कर्त्तव्य के लिए भी संविधान की

**व्याख्याता*, शिक्षा संकाय, एस्ट्रोन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ, उत्तर प्रदेश

धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 तथा वांछित खेल-कूद संबंधी अथवा शैक्षिक उपकरण उपलब्ध कराने एवं विद्यालय द्वारा यह सब सुविधा अनुपलब्ध कराने पर धारा 19, शिक्षकों द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु धारा 23 व 24 तथा शिक्षकों का इतर कार्यों में संलग्न करने हेतु धारा 27 व 28 निर्धारित है। इतना सब निश्चित होने के उपरांत, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के उपरांत भी राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की स्थिति अभी भी उदासीन बनी हुई है। इस संदर्भ में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उचित क्रियान्वयन द्वारा लक्ष्य प्राप्ति हेतु समाज के विभिन्न वर्गों यथा-व्यावसायिक बौद्धिक, अभिभावक, शिक्षक एवं छात्र वर्ग के लोगों से इस अधिनियम के विषय में प्रतिक्रिया तथा बाधा ज्ञात करने का प्रयास स्वनिर्मित प्रश्नावली के माध्यम से किया गया। सर्वेक्षण विधि का आश्रय लेते हुए जनसंख्या एवं न्यादर्श इस प्रकार रहा–

सारणी 1

वर्ग	*क्रम संख्या*	*स्तर*	*चयनित वर्ग*	*संख्या*
शिक्षक	1	प्राथमिक स्तर	3	
	2	माध्यमिक स्तर	3	10
	3	उच्च स्तर	4	
अभिभावक	1	प्राथमिक स्तर छात्र	3	
	2	माध्यमिक स्तर छात्र	3	10
	3	उच्च स्तर छात्र	4	
व्यावसायिक वर्ग	1	निम्न आय	3	
	2	मध्य आय	3	10
	3	उच्च आय	4	
बौद्धिक वर्ग	1	वयोवृद्ध	3	
	2	समाज सेवक	3	10
	3	राजनीतिज्ञ	4	
छात्र	1	माध्यमिक स्तर	5	10
	2	उच्च स्तर	5	

न्यादर्श एवं जनसंख्या

संपूर्ण तथ्य एकत्र करने के उपरांत शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं बाधा आदि का विश्लेषण करने के लिए Annova Test का उपयोग किया गया। प्रत्येक वर्ग की एक-दूसरे वर्ग से तुलना की गई।

इन समूहों में A (शिक्षक वर्ग) का B (अभिभावक वर्ग) के साथ शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता जानने का प्रयास किया। A समूह का मध्यमान 227 प्राप्त हुआ, B समूह का मध्यमान 222 प्राप्त हुआ, इन दोनों समूहों के मध्य प्रसरण विश्लेषण (Analysis of Variance) के मध्यमान के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता जानने के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए:

दोनों समूहों के मध्य सार्थकता .474 प्राप्त होने पर F परीक्षण तालिका का प्रयोग किया गया उसके सार्थकता स्तर की जाँच करने पर सार्थकता स्तर 'सार्थक' पाया गया। अत: कहा जा सकता है कि दोनों ही वर्ग शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति बराबर जागरूक हैं, अर्थात अधिनियम के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं।

इन समूहों में शिक्षक वर्ग (A) तथा व्यावसायिक वर्ग (C) का शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता जानने का प्रयास किया। (A) समूह का मध्यमान 6.050 प्राप्त हुआ, C समूह का मध्यमान 230.383 प्राप्त हुआ, इन दोनों समूहों के मध्य प्रसरण विश्लेषण (Analysis of Variance) के मध्यमान के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता जानने के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हए:

सारणी 2

समूह 'A' (शिक्षक वर्ग) का समूह 'B' (अभिभावक वर्ग) के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता स्तर

	Sum of Squares	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
Between Groups	140.450	1	140.450	0.536	0.474
Within Groups	4720.100	18	262.228		
Total	4860.550	19			

सारणी 3

समूह 'A' (शिक्षक वर्ग) का समूह 'C' (व्यावसायिक वर्ग) के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता स्तर

	Sum of Squares	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
Between Groups	6.050	1	6.050	0.026	0.873
Within Groups	4145.900	18	230.383		
Total	4152.950	19			

दोनों समूहों के सार्थकता 0.873 प्राप्त होने पर F परीक्षण तालिका का प्रयोग किया गया उसके सार्थकता स्तर की जाँच करने पर सार्थकता स्तर 'सार्थक' पाया गया। अत: कहा जा सकता है कि दोनों ही वर्ग शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति बराबर जागरूक हैं, अर्थात अधिनियम के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं।

इन समूहों में शिक्षक वर्ग (A) तथा बौद्धिक वर्ग (D) का (बौद्धिक) शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता जानने का प्रयास किया। A समूह का मध्यमान 259.200 प्राप्त हुआ, D समूह का मध्यमान 195.811 प्राप्त हुआ, इन दोनों समूहों के मध्य प्रसरण विश्लेषण (Analysis of Variance) के मध्यमान के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता जानने के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए:

दोनों समूहों के सार्थकता 0.265 प्राप्त होने पर F परीक्षण तालिका का प्रयोग किया गया उसके सार्थकता स्तर की जाँच करने पर सार्थकता स्तर 'सार्थक' पाया गया। अत: कहा जा सकता है कि दोनों ही वर्ग शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति बराबर जागरूक हैं, अर्थात अधिनियम के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं।

इन समूहों में शिक्षक वर्ग (A) तथा छात्र वर्ग (E) का शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता जानने का प्रयास किया। A समूह का मध्यमान 594.050 प्राप्त हुआ, E समूह का मध्यमान 264.828 प्राप्त हुआ, इन दोनों समूहों के मध्य प्रसरण विश्लेषण (Analysis of Variance) के मध्यमान के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता जानने के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए:

सारणी 4

समूह 'A' (शिक्षक वर्ग) का समूह 'D' (बौद्धिक वर्ग) के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता स्तर

	Sum of Squares	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
Between Groups	259.200	1	259.200	1.324	0.265
Within Groups	3524.600	18	195.811		
Total	3783.800	19			

सारणी 5

समूह 'A' (शिक्षक वर्ग) का समूह 'B' (छात्र वर्ग) के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता स्तर

	Sum of Squares	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
Between Groups	594.050	1	594.050	2.243	0.152
Within Groups	4766.900	18	264.828		
Total	5360.950	19			

दोनों समूहों के सार्थकता 0.152 प्राप्त होने पर F परीक्षण तालिका का प्रयोग किया गया उसके सार्थकता स्तर की जाँच करने पर सार्थकता स्तर 'सार्थक' पाया गया। अत: कहा जा सकता है कि दोनों ही वर्ग शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति बराबर जागरूक हैं, अर्थात अधिनियम के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं।

अभिभावक वर्ग (B) तथा व्यावसायिक वर्ग (C) का शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता जानने का प्रयास किया। B समूह का मध्यमान 204.800 प्राप्त हुआ, C समूह का मध्यमान 153.667 प्राप्त हुआ, इन दोनों समूहों के मध्य प्रसरण विश्लेषण (Analysis of Variance) के मध्यमान के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता जानने के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए:

दोनों समूहों के सार्थकता 0.263 प्राप्त होने पर F परीक्षण तालिका का प्रयोग किया गया उसके सार्थकता स्तर की जाँच करने पर सार्थकता स्तर 'सार्थक' पाया गया। अत: कहा जा सकता है कि दोनों ही वर्ग शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति बराबर जागरूक हैं, अर्थात अधिनियम के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं।

इन समूहों में अभिभावक वर्ग (B) का बौद्धिक वर्ग (D) के साथ शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता जानने का प्रयास किया। B समूह का मध्यमान = 781.250 प्राप्त हुआ, D समूह का मध्यमान 119.094 प्राप्त हुआ, इन दोनों समूहों के मध्य प्रसरण विश्लेषण (Analysis of Variance) के मध्यमान के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता जानने के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए:

सारणी 6

समूह 'B' (अभिभावक वर्ग) का समूह 'C' (व्यावसायिक वर्ग) के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता स्तर

	Sum of Squares	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
Between Groups	204.800	1	204.800	1.333	0.263
Within Groups	2766.000	18	153.667		
Total	2970.800	19			

सारणी 7

समूह 'B' (अभिभावक वर्ग) का समूह 'D' (बौद्धिक वर्ग) के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता स्तर

	Sum of Squares	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
Between Groups	781.250	1	781.250	6.560	0.020
Within Groups	2143.700	18	119.094		
Total	2924.950	19			

दोनों समूहों के सार्थकता .020 प्राप्त होने पर F परीक्षण तालिका का प्रयोग किया गया उसके सार्थकता स्तर की जाँच करने पर सार्थकता स्तर 'सार्थक' पाया गया। अत: कहा जा सकता है कि दोनों ही वर्ग शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति बराबर जागरूक हैं अर्थात अधिनियम के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं।

इन समूहों में अभिभावक वर्ग (B) तथा छात्र वर्ग (E) के साथ शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता जानने का प्रयास किया। B समूह का मध्यमान 156.800 प्राप्त हुआ, E समूह का मध्यमान 188.111 प्राप्त हुआ, इन दोनों समूहों के मध्य प्रसरण विश्लेषण (Analysis of Variance) के मध्यमान के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता जानने के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए:

दोनों समूहों के सार्थकता 0.373 प्राप्त होने पर F परीक्षण तालिका का प्रयोग किया गया उसके सार्थकता स्तर की जाँच करने पर सार्थकता स्तर 'सार्थक' पाया गया। अत: कहा जा सकता है कि दोनों ही वर्ग शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति बराबर जागरूक हैं, अर्थात अधिनियम के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं।

इसके साथ ही व्यावसायिक वर्ग (C) का बौद्धिक वर्ग (D) के साथ शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता जानने का प्रयास किया। C समूह का मध्यमान 186.050 प्राप्त हुआ, D समूह का मध्यमान 87.250 प्राप्त हुआ, इन दोनों समूहों के मध्य प्रसरण विश्लेषण (Analysis of Variance) के मध्यमान के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता जानने के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए:

सारणी 8

समूह 'B' (अभिभावक वर्ग) का समूह 'E' (छात्र वर्ग) के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता स्तर

	Sum of Squares	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
Between Groups	156.800	1	156.800	0.834	0.373
Within Groups	3386.000	18	188.111		
Total	3542.800	19			

सारणी 9

समूह 'C' (व्यावसायिक वर्ग) का समूह 'D' (बौद्धिक वर्ग) के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता स्तर

	Sum of Squares	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
Between Groups	186.050	1	186.050	2.132	0.161
Within Groups	1570.500	18	87.250		
Total	1756.550	19			

दोनों समूहों के मध्य सार्थकता 0.161 प्राप्त होने पर F परीक्षण तालिका का प्रयोग किया गया, उसके सार्थकता स्तर की जाँच करने पर सार्थकता स्तर 'सार्थक' पाया गया। अत: कहा जा सकता है कि दोनों ही वर्ग शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति बराबर जागरूक हैं, अर्थात अधिनियम के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं।

इन समूहों में व्यावसायिक वर्ग (C) का छात्र वर्ग (E) के साथ शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता जानने का प्रयास किया। यहाँ पर सर्वप्रथम समूह C का मध्यमान 720.000 प्राप्त हुआ, E समूह का मध्यमान 156.267 प्राप्त हुआ, इन दोनों समूहों के मध्य प्रसरण विश्लेषण (Analysis of Variance) के मध्यमान के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता जानने के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए:

दोनों समूहों के सार्थकता .046 प्राप्त होने पर F परीक्षण तालिका का प्रयोग किया गया उसके सार्थकता स्तर की जाँच करने पर सार्थकता स्तर 'सार्थक' पाया गया। अत: कहा जा सकता है कि दोनों ही वर्ग शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति बराबर जागरूक हैं, अर्थात अधिनियम के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं।

इन समूहों में बौद्धिक वर्ग (D) का छात्र वर्ग (E) के साथ शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता जानने का प्रयास किया। समूह D का मध्यमान 1638.050 प्राप्त हुआ, समूह का E मध्यमान 121.694 प्राप्त हुआ, इन दोनों समूहों के मध्य प्रसरण विश्लेषण (Analysis of Variance) के मध्यमान के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता जानने के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए:

सारणी 10

समूह 'C' (व्यावसायिक वर्ग) का समूह 'E' (छात्र वर्ग) के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता स्तर

	Sum of Squares	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
Between Groups	720.000	1	720.000	4.608	0.046
Within Groups	2812.800	18	156.267		
Total	3532.800	19			

सारणी 11

समूह 'D' (बौद्धिक वर्ग) का समूह 'E' (छात्र वर्ग) के मध्य सार्थकता एवं जागरूकता स्तर

	Sum of Squares	*df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
Between Groups	1638.050	1	1638.050	13.460	0.002
Within Groups	2190.500	18	121.694		
Total	3828.550	19			

दोनों समूहों के मध्य सार्थकता 0.002 प्राप्त होने पर F परीक्षण तालिका का प्रयोग किया गया, उसके सार्थकता स्तर की जाँच करने पर सार्थकता स्तर 'सार्थक' पाया गया। अत: कहा जा सकता है कि दोनों ही वर्ग शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति बराबर जागरूक हैं, अर्थात अधिनियम के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं।

प्राप्त आंकड़ों के गुणात्मक विश्लेषण के उपरांत यह पाया गया कि ये विभिन्न समूह अधिनियम के क्रियान्वयन में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएँ देखते हैं—

1. राज्यों का अपूर्ण सहयोग
2. अधिनियम के क्रियान्वयन की उचित व्यवस्था का अभाव
3. निजी विद्यालयों की सहभागिता पर संदेह
4. शिक्षकों का अभाव
5. बालकों के विद्यालय में प्रवेश की चुनौती
6. बालश्रम की समस्या
7. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्या
8. विद्यालयों का अभाव
9. पाठ्यक्रम की एकरूपता एवं बस्तों के बोझ की समस्या
10. प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय स्थिति
11. अपव्यय व अवरोधन की समस्या
12. अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की समस्या
13. विकलांग एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त व्यवस्था की कमी
14. ईमानदारी तथा कर्त्तव्यनिष्ठा की कमी

यदि उपर्युक्त बाधाओं पर बिंदुवार सूक्ष्म चर्चा करें तो इस अधिनियम के क्रियान्वयन की बहुत सी चुनौतियाँ सामने आती हैं, जैसे—

राज्यों का सहयोग सर्वप्रथम हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ की मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे लागू करने में असमर्थता (पिछले वर्ष में भी प्रतिपूर्ति ना होने की धनराशि) जतायी है। (*दैनिक जागरण* 04.04.2010)

दूसरी बात आती है व्यवस्था की, भारत के सभी राज्यों में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ दुर्गम जंगल और पहाड़ी इलाके इसके आड़े आते हैं। ऐसे स्थलों पर यदि अभिभावक किसी भी प्रकार बालक को विद्यालय भेज भी देते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ शिक्षक भी उपलब्ध हो ही जाये। (क्योंकि शिक्षा एवं शिक्षक संबंधी अनेक जाँच समितियाँ यह इंगित कर चुकी हैं कि ऐसे विद्यालय शहरों में नियुक्ति पाये हजारों शिक्षकों के लिए मात्र मासिक पगार लेने का माध्यम बन चुके हैं।) एक सच्चाई और भी है, मिड-डे मील या दोपहर का भोजन बेशक काम-काज से थके बालकों को स्कूल की दहलीज़ तक खींच लाता हो, लेकिन वहाँ उन्हें स्वच्छ और सेहतमंद भोजन मिलने की गारंटी नहीं है। देशभर से मिड-डे मील के खराब होने और मात्रा में अनियमितता की खबरें मिलती रहती हैं। (शिक्षित भारत का सपना, इरा झा, सम्पादकीय *दैनिक जागरण,* 14.4.2010)

चौथा मुख्य बिंदु **शिक्षकों का अभाव** है अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार

अधिनियम लागू तो हो गया, लेकिन इसका पालन कराने में ख़ासी मुश्किल हो सकती है। कारण किसी भी स्कूल में मानक के अनुरूप शिक्षक नहीं हैं। छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की पूर्ति कराना सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 182 प्राथमिक व 911 उच्च प्राथमिक स्कूलों में बालकों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। प्रदेश के 4,229 प्राथमिक व 8,884 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालकों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक तैनात है। (शिक्षा का अधिकार कैसे हो बेड़ा पार, *दैनिक जागरण,* 19.05.2010) सूबे में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के 'नर्सरी' कहे जाने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) स्वयं संसाधनों की कमी का संकट झेल रहे हैं। इन संस्थानों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष सिर्फ 40 फ़ीसदी पदों पर ही प्रशिक्षक तैनात हैं। डायट के ज़रिये प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 10,650 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है जबकि हर साल 12,000 से 14,000 शिक्षक तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। (*हिन्दुस्तान,* इस आगाज़ को बेहतर अंजाम चाहिए, प्रमोद जोशी, 31.3. 2010)

इसी कड़ी में अग्रिम कड़ी बालकों के **विद्यालय में प्रवेश** की चुनौती है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के कुल 81 लाख बालकों के अभी तक स्कूल का मुँह न देखने की तस्वीर सामने आयी है। सर्वे बताता है कि उन बालकों में से 28 लाख (34 प्रतिशत) अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। हालांकि राज्य सरकार के हिसाब से प्रदेश में सिर्फ 17 लाख बालकों को ही विद्यालय मुहैया कराना बाकी है। नवीन शिक्षा अधिनियम के तहत सरकार के लिए इन बालकों का विद्यालय में प्रवेश कराना और उन्हें यहाँ बनाये रखना एक चुनौती ही है। (संपादकीय *दैनिक जागरण,* 31.05.2010)

देश के कुल निरक्षरों में से 22 प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सर्वे के मुताबिक देश में 100 में से 67 और उत्तर प्रदेश में 100 में से 61 लोग ही साक्षर हैं।

छठा बिंदु **बालश्रम** से संबंधित है। 'शिक्षा का अधिकार' कानून लागू हो चुका है। इस कानून के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की कानूनी ज़िम्मेदारी बना दी गई है, लेकिन शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद भी वर्तमान में काफ़ी संख्या में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बदले सड़कों पर कूड़ा बीनते घूम रहे हैं, या छोटे-छोटे ढाबों/होटलों में काम कर रहे हैं। देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे अपना पेट भरने के लिए बाल्यावस्था में पढ़ाई करने के बदले कठिन श्रम करने को मजबूर हैं।

सातवां बिंदु-वर्तमान में **अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा** के सार्वभौमीकरण का अर्थ कुछ व्यापक रूप में लिया जाता है। हमारे देश में संविधान की धारा 45 में यह निर्देश है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्था करेगा। परंतु अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा को सर्वसुलभ

बनाने का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक यथा आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चे उसमें प्रवेश नहीं लेते और शत-प्रतिशत बच्चों के प्रवेश लेने का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक शत-प्रतिशत बच्चे उसमें रुके नहीं रहते हैं, और शत-प्रतिशत रुके रहने का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक शत-प्रतिशत बच्चे इस शिक्षा को पूरी नहीं करते, इसमें उत्तीर्ण नहीं होते ।

आठवां बिंदु–**अनिवार्य और निःशुल्क** शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को एक निश्चित दूरी के अंदर स्कूल उपलब्ध कराना। आज स्थिति यह है कि देश में बड़े-बड़े नगरों में स्वैच्छिक संस्थाओं और व्यक्तिगत प्रयासों से प्राथमिक विद्यालयों का जाल-सा बिछ गया है, परंतु अनुसूचित जाति की बस्ती में प्रायः सरकारी प्राथमिक विद्यालय ही दिखायी देते हैं और वो भी बहुत निचले स्तर के। अनुसूचित जनजातियों की पहाड़ी, रेगिस्तानी और जंगली बस्तियों में तो सरकार भी उचित संख्या में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का उजियारा फैलाने के लिए 4,596 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करनी होगी। (*दैनिक जागरण,* 04.04.2010)

नवां बिंदु आता है **पाठ्यक्रम की एकरूपता** का। भारत देश में प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की स्थिति यह है कि कुछ विद्यालयों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम व पुस्तकें हैं तो कहीं प्रांतीय सरकारें अपने-अपने प्रकार का पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें चला रही हैं। साथ ही अन्य अतिरिक्त विषय यथा—कम्प्यूटर, पर्यावरण शिक्षा तथा अन्य भाषाओं का ज्ञान बालकों पर अनावश्यक बस्तों के बोझ को बढ़ावा देता है।

दसवां बिंदु एक तरह से आठवें में ही समाहित है क्योंकि **ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड** के अंतर्गत लगभग 80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों और 40 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुछ सुधार अवश्य हुआ है परंतु अभी तक लगभग 10 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय बिना भवन के चल रहे हैं, लगभग 10 प्रतिशत विद्यालय कच्चे भवनों में चल रहे हैं, लगभग 20 प्रतिशत विद्यालयों के भवन बड़ी जीर्ण अवस्था में हैं, लगभग 2,000 प्राथमिक विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, लगभग 20 प्रतिशत विद्यालय एक शिक्षकीय हैं, लगभग 20 प्रतिशत विद्यालयों में फर्नीचर व टाट-पट्टी नहीं हैं, लगभग 20 प्रतिशत विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड नहीं हैं, लगभग 50 प्रतिशत विद्यालयों में पानी की व्यवस्था नहीं हैं, लगभग 25 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय नहीं है और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की व्यवस्था तो बहुत कम विद्यालयों में है।

ग्यारहवां बिंदु **अपव्यय व अवरोधन** से जुड़ा है। भारत में अपव्यय एवं अवरोधन की ओर सबसे पहले ध्यान प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में हर्टांग कमेटी, ने आकर्षित किया था। कोठारी आयोग के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन के मुख्य कारण हैं—अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम का न होना, अभिभावकों का निर्धन एवं अशिक्षित होना, स्कूलों की दूरी अधिक होना, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी होना, शिक्षण संस्थाओं

का साधन संपन्न न होना और उचित निरीक्षण की व्यवस्था न होना इत्यादि है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में अपव्यय एवं अवरोधन एक प्रमुख बाधा है। (*भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास,* सी.एस. शुक्ला, 2006, पृष्ठ संख्या 191)

बारहवां बिंदु–**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों** की बस्तियों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें प्राय: बच्चे प्रवेश नहीं लेते, ऐसे विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या शनै: शनै: कम होती जा रही है और वह बंद होते जा रहे हैं।

कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षिकाएं भी जाना पसंद नहीं करते। शिक्षकों के अभाव में छात्र/छात्राएं भी विद्यालय आना छोड़ देते हैं और कालांतर में ये विद्यालय भी बंद हो जाते हैं। अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना एक प्रमुख चुनौती है। (*भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास,* सी. एस. शुक्ला, पृष्ठ संख्या 190)

तेरहवां बिंदु–**विकलांग बच्चों** को शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में, यह अधिनियम मौन है। विकलांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी अधिनियम में 'अक्षमता' की परिभाषा 'व्यक्त अक्षमता अधिनियम 1995' अनुसार मानी गई है, जो कि 'राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999' द्वारा बताई गई 'अक्षमता' की परिभाषा की शर्तों को पूरा नहीं करती।

सबसे महत्वपूर्ण बिंदु चतुर्दश है। आज हमारे देश में किसी भी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है उस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ न होना। प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्षेत्र को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं– प्रशासनिक और शैक्षिक। यह बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन से जुड़े अधिकतर व्यक्तियों में ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा की कमी है। प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, उनमें शिक्षकों की नियुक्ति, उनके लिए फर्नीचर एवं शिक्षण खेल-सामग्री की आपूर्ति और मिड-डे मील आदि की व्यवस्था प्रशासन द्वारा होती है। भवन-निर्माण और सामग्री के क्रय में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। परिणामत: घटिया किस्म के भवन बनते हैं और घटिया किस्म की सामग्री क्रय की जाती है। अब तो शिक्षकों की नियुक्ति में भी पैसा चल रहा है। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकतर प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य कर्मचारी ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा से कोसों दूर हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में तो आधे से अधिक विद्यालय ही नहीं जाते और जो जाते हैं उनमें से भी अधिकतर शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेते। कहने को इनके ऊपर पूरा नियन्त्रण तंत्र है पर अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग से मौज ले रहे हैं। शिक्षक संघों के निर्माण से शिक्षकों की दशा में तो सुधार हुआ है परंतु शिक्षा में गिरावट आयी है। देश में हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्ट प्रशासन तंत्र से उच्च प्रशासन की

आशा कैसे की जा सकती है? अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा अधिनियम के लक्ष्य प्राप्त करने में यह समस्या प्रमुख बाधक तत्व है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

संपूर्ण घटकों का विश्लेषण करने के उपरांत बिंदुवार निष्कर्ष एवं सुझाव इस प्रकार हैं—

1. अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना राज्यों का दायित्व तय किया गया है। चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तत्परता के साथ बच्चों की नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए संसाधनों की कमियों को पूर्ण करना चाहिए। राज्य सरकारों की शिक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में धन के अभाव की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार शिक्षा के बजट में वृद्धि करे जिससे राज्य सभी को शिक्षा उपलब्ध करा सके और शिक्षा पर होने वाले व्यय 55:45 (यानि केंद्र सरकार का योगदान 55 प्रतिशत व राज्य सरकार का 45 प्रतिशत) को घटाकर 65:35 कर दे जिससे राज्यों पर आर्थिक बोझ अधिक न पड़े। राज्यों को भी बहाने न बनाकर सभी बच्चों को अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और अपने दायित्व निर्वाहन के लिए उचित नीतिगत ढाँचा तैयार करना चाहिए जिससे एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाये।
2. सभी बच्चों को अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की जबाबदेही तय की जानी चाहिए, नवीन विद्यालयों की स्थापना कर उनमें पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों की पूर्ति की जानी चाहिए। राज्य सरकारों को समय पर धन मुहैया कराकर धन के उपयोग की निगरानी होनी चाहिए जिससे धन शिक्षा के क्षेत्र में ही व्यय किया जाये। इस अधिनियम के अधीन आने वाले अधिकारियों, विद्यालय प्रबंधकों, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं अन्य जुड़े कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिये जायें कि अपने कार्य में लापरवाही बरतने पर कठोर कार्यवाही के लिए तैयार रहें, जिससे उचित व्यवस्था का निर्माण होगा। अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए एक समुचित समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए जिससे इस अधिनियम का सकारात्मक परिणाम सामने आ सके।
3. राज्य सरकारों को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगानी चाहिए तथा उनकी कार्यप्रणाली पर पैनी नज़र रखनी चाहिये जिससे वह गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों को अपने विद्यालयों में प्रवेश देने में आना कानी न करें और न ही किसी बच्चे से कैपीटेशन फीस लें क्योंकि निशुल्क शिक्षा बच्चों का हक है इसलिए निजी विद्यालयों को भी गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित

करने में पूरी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। जिससे वंचित वर्ग के बच्चे भी उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकें।

4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 1:35 होना चाहिए। इस कानून के अनुसार पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञ अध्यापकों की नियुक्ति करना अनिवार्य है। इससे स्पष्ट है कि एक पूर्व माध्यमिक स्कूल में अनुपात के साथ ही कम-से-कम पाँच अध्यापक नियुक्त होना अनिवार्य हैं। उत्तर प्रदेश में इस महत्त्वकांक्षी कानून को अमली जामा पहनाने के लिए 3.25 लाख शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में, 67,000 शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में और 44,000 अंशकालिक शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त करने होंगे जो कि जितनी शीघ्र हो उतना ही अच्छा है क्योंकि शिक्षा का प्रचार-प्रसार योग्य शिक्षकों पर ही निर्भर करता है।
5. प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 से 14 आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों के प्रवेश (नामांकन) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार अभिभावकों में जागरूकता उत्पन्न करे, विद्यालयों की स्थिति में सुधार करे, बच्चों के लिए पौष्टिक मिड-डे मील की व्यवस्था करे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के साथ-साथ गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले बच्चों को भी आर्थिक सहायता दी जाये। 1 कि.मी. की दूरी के अंदर ही प्राथमिक और 2.3 कि.मी. की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाये जिससे बालक-बालिकाएँ आसानी से विद्यालय जा सकें। शिक्षकों की यह जिम्मेदारी निश्चित की जाये कि वे व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। इन सब प्रयत्नों से अवश्य ही बच्चों का विद्यालय में शत-प्रतिशत प्रवेश संभव हो सकेगा।
6. बालश्रम एक अभिशाप है, देश में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे बालश्रमिक के रूप में खतरनाक कारखानों तथा सार्वजनिक स्थलों इत्यादि में कार्यरत हैं। यह सभी को मालूम है कि बालश्रमिकों की स्थिति कितनी दयनीय है इन बालश्रमिकों को शिक्षा उपलब्ध कराने और इनके पुर्नवास के लिए सरकार को कारगर उपाय करने चाहिए जिससे ये बच्चे भी शिक्षित बन सभ्य समाज का हिस्सा बनकर सम्मान से जीवन व्यतीत कर सकें। उन अभिभावकों में भी जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम तैयार करने चाहिए जो अपने बच्चों को मज़दूरी करने के लिए मजबूर करते हैं। उन्हें शिक्षा का महत्व बताकर अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए तैयार करें। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी लेना चाहिये। बालश्रमिकों के पुनर्वास के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने चाहिए जिससे बालश्रम की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे।

7. भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए भारत सरकार 6-14 आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा-सुविधा सुलभ कराये। इसके लिए अधिक-से-अधिक विद्यालयों का निर्माण कराना चाहिए, पुराने विद्यालयों की मरम्मत करानी चाहिये जिससे वहाँ उचित शिक्षण कार्य हो सके और योग्य शिक्षकों की उचित अनुपात में नियुक्ति की जाये जिससे शिक्षण प्रक्रिया बाधित न हो। 6 से 14 वर्ष के शत-प्रतिशत बच्चों का कक्षा 1 से 8 तक विद्यालयों में नामांकन (प्रवेश) अनिवार्य किया जाये और इसके लिए ज़रूरी कदम उठाये जायें। विद्यालय में प्रवेश पाये शत-प्रतिशत बच्चों को विद्यालयों में रोके रखना, उन्हें बीच में विद्यालय छोड़कर न जाने देने के लिए विद्यालयों को आकर्षक एवं उचित वातावरण युक्त बनाना जिससे बच्चे पढ़ने में भी आनंदानुभूति प्राप्त कर सकें और सभी बच्चों को कक्षा 8 तक की परीक्षा उत्तीर्ण कराने की व्यवस्था कर अनिवार्य एवं नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
8. उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून लागू करने के लिए 4,596 नये प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण करना चाहिए। और विद्यालयों में अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास करना चाहिए जिससे नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
9. पाठ्यक्रम की एकरूपता के लिए सभी प्रांतों में प्राथमिक स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रस्तावित आधारभूत पाठ्यक्रम को लागू किया जाये। यह तभी संभव है जब पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन किये जायें। तब प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में एकरूपता आयेगी जिससे पाठ्यक्रम की असमानता से निजात मिलेगी तथा पाठ्यक्रम में से अनावश्यक पाठ्य-सामग्री को हटाकर बालकों के बस्तों का बोझ भी कम किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के स्थान पर सिर्फ मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा) की शिक्षा अनिवार्य हो इससे बस्ते का बोझ काफी हद तक कम किया जा सकता है।
10. प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को कुछ ठोस कदम उठाने आवश्यक हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकारें शिक्षा बजट में वृद्धि करें और प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने को प्राथमिकता दें। शिक्षा बजट का 50 प्रतिशत भाग प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाये। सरकारी प्राथमिक स्कूलों के स्थान पर सहायता-प्राप्त स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए और प्रशासनिक ढाँचे में आये भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए इससे अवश्य ही प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में सुधार आयेगा।
11. प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम अभिभावकों को जागरूक करना, विद्यालयों

की दशा सुधारना, नि:शुल्क मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, निर्धन छात्रों को पाठ्यपुस्तकें एवं यूनीफॉर्म वितरित करना, निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि करना, पाठ्यक्रम को जीवनोपयोगी बनाना, विद्यालयों में मनोरंजन प्रधान वातावरण तैयार करना एवं योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करने से अपव्यय एवं अवरोधन को काफी सीमा तक रोका जा सकता है जिससे शिक्षा अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने में सरलता होगी।

12. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को प्रयास तीव्र करने चाहिये और इन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए।

    मलिन बस्तियों के प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाये। उनके व्यक्तिगत प्रयास से स्थापित विद्यालयों को मान्यता देने में उदारता बरती जाये और उन्हें प्रथम वर्ष से ही सहायता अनुदान दिया जाये।

    बच्चों को विद्यालयों में रोके रखने के लिए ठोस प्रयास किये जायें, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाये।

    ऐसे विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षिकाओं को भी रोकने के लिए ठोस प्रयास किये जायें (जेंडर वाइज चयन इस दिशा में अधिक कारगर हो सकता है।)

    अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना होने से इन वर्गों में जागरूकता आयेगी जिससे इनका जीवन स्तर ऊपर उठ सकेगा।

13. इन विद्यालयों में धनी वर्ग के बच्चों से पूर्ण व्यय लिया जाये और निर्धन बालकों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाये।

14. अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शासन में बैठे व्यक्तियों को लोकतंत्र का सही अर्थ समझना होगा। उन्हें किसी व्यक्ति विशेष अथवा जाति विशेष के हित में न सोचकर राष्ट्रहित में सोचना चाहिए और राष्ट्रहित इसमें है कि सभी व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ अपने कर्त्तव्यों को पहचानें और उनका पालन करें। किसी भी राष्ट्र के चारित्रिक पतन का मूल कारण मूल्यों का ह्रास होता है। अत: आवश्यक है कि प्रारंभ से ही बालकों में सामाजिक, नैतिक, एवं राष्ट्रीय मूल्यों का विकास किया जाये। सामाजिक, नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों का व्यक्ति न बेईमान हो सकता है और न कर्त्तव्यविमुख। यदि सभी लोग ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा से कार्य करें तो कम साधनों से भी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है।

अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया सराहनीय कदम है। शिक्षा से वंचित बालकों को शिक्षित करना सभी लोकतंत्रीय सरकारों का दायित्व है। अधिनियम के अधीन बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय व राज्य आयोग को भी विस्तृत अधिकार प्रदान किये गये हैं।

बच्चों की शिक्षा संबंधी किसी भी शिकायत के लिए अधिकारितायुक्त स्थानीय प्राधिकरण की व्यवस्था की गयी है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा की जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सभी बच्चों को शत-प्रतिशत शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिए संक्षेप में सुझाव इस प्रकार हैं–

1. प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं में और विस्तार किया जाये।
2. अनुसचित जाति एवं जनजातीय और पिछड़े हुये क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार की ओर विशेष ध्यान दिया जाये।
3. छोटी बस्तियों में भी पाठशालाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
4. बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये।
5. निर्धन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाय, उन्हें नि:शुल्क कपड़े एवं पुस्तकें दी जाये।
6. उपस्थिति छात्रवृत्तियां प्रारम्भ की जायें ताकि बच्चे पाठशालाओं में उपस्थित रहने के लिए आकर्षित हों।
7. नि:शुल्क दूध और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाये।
8. महिला अध्यापकों की अधिक-से-अधिक नियुक्ति पर ध्यान दिया जाये। इससे अभिभावकों को अपनी लड़कियों को पाठशाला भेजने में प्रोत्साहन मिलेगा।
9. शिक्षा के प्रसार के लिए जिलेवार योजना तैयार की जाये ताकि पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सके।
10. अनिवार्य शिक्षा कानून को प्रत्येक राज्य में दृढ़तापूर्वक लागू किया जाये। कानून भंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाई की जानी चाहिए।
11. शैक्षिक अपव्यय को कम करने के उपाय अपनाये जाने चाहिए।
12. पाठशाला वातावरण को आकर्षक बनाया जाये जिससे बच्चे पाठशाला की ओर आकर्षित हों। पाठशाला में खेल-कूद की उचित व्यवस्था की जाये।
13. अभिभावकों को शिक्षा के महत्त्व के बारे में निरन्तर सजग किया जाये। स्थानीय समुदाय को इस क्षेत्र में सहयोग देने हेतु आमंत्रित किया जाना चाहिए।
14. प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किये जाने वाले बजट में वृद्धि की जाये।
15. विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाये।
16. पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों के लिए अतिरिक्त शिक्षण-व्यवस्था की जाये।
17. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाये।
18. निजी विद्यालयों पर नियंत्रण रखा जाये।
19. बालश्रमिकों के पुनर्वास एवं शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
20. नये विद्यालयों की आवश्यक स्थानों पर स्थापना की जाये।
21. पाठ्यचर्या संपूर्ण देश में एक समान रखी जाये और बच्चों पर से बस्तों के बोझ को कम किया जाये।

उपर्युक्त सुझावों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए जिससे शिक्षा अधिनियम का सकारात्मक परिणाम अतिशीघ्र आ सके। इस मुफ्त एवं मौलिक शिक्षा के अधिकार से अभी भी बहुत कुछ सुधार हो सकता है यदि उस क्षेत्र में रह रहे–पूंजीपतियों, अधिकारियों एवं नेताओं के बालकों की पढ़ाई भी उन्हीं स्कूलों में अनिवार्य रूप से हो। इससे स्कूलों का स्तर अपने आप दुरुस्त हो जायेगा। सही प्रकार से इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उत्तम विकल्प तो यह है कि शिक्षा समान एवं अनिवार्य होनी चाहिए। तभी अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा अधिनियम के वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ

- *इंडिया टुडे*, मई, 2010
- प्रतियोगिता दर्पण, मई, 2010/1827/ *अनिवार्य शिक्षा अधिनियम* . 2009
- दैनिक जागरण, (1.04.2010 से 28.5.2010), अमर उजाला, हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक के समाचार पत्र
- शुक्ला, सी.एस.ए, 2006, *भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास,* इन्टरनेशलन पब्लिशिंग हाउस, मेरठ